डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 10/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- IX

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 10/2024-25

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003,

जारी करने की तारीख: 26 सितम्बर, 2024

विषय : स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग एवं विमान में ईंधन की आपूर्ति (सीजीएफ) के संबंध में मौजूदा टैरिफ की वसूली की अवधि 31.03.2025 तक बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

यह निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ 30.09.2024 के बाद भी वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था को जारी रखने के संबंध में है:-

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	हवाईअड्डा
(क)	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं	
1	राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	जयपुर
2	जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल)	मोपा, गोवा
3	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)*	चेन्नई
4		मंगलौर
5		श्रीनगर
6		त्रिचि
7		पटना

8	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)*	पुणे
9		अमृतसर
10		भुवेनश्वर
11		डेबोलिम, गोवा
12		गुवाहाटी
13		जयपुर
14		लखनऊ
15		त्रिवेन्द्रम
16		वाराणसी
17		कोलकाता
(ख)	**<u>फ्यूल फार्म और आईटीपी सेवाएं@</u>**	
18	बीपीसीएल कन्नूर फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल)	कन्नूर
19	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	मोपा, गोवा
(ग)	**<u>ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं#</u>**	
20	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	चेन्नई
21		कालीकट
22		कोलकाता
23		अहमदाबाद
24		कोचीन
25		गुवाहाटी
26		अमृतसर
27		भुवनेश्वर
28		चंडीगढ़
29		डेबोलिम, गोवा
30		जयपुर
31		पटना
32		पुणे
33		वाराणसी

34	एएआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	लखनऊ
35		श्रीनगर
36		कोयम्बटूर
37		त्रिचि
38		इंदौर
39		रायपुर
40		कानपुर

*कोलकाता और चैन्नई हवाईअड्डे के लिए संशोधित एमवाईटीपी और अन्य हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए एमवाईटीपी अभी एएआईसीएलएएस से प्राप्त किया जाना है।

@ मोपा, गोवा के लिए एमवाईटीपी बीपीसीएल से प्राप्त हो गया है और बीकेएफपीपीएल, कन्नूर के लिए एमवाईटीपी अभी प्राप्त किया जाना है।

एमवाईटीपी अभी प्राप्त किए जाने हैं।

2. प्राधिकरण ने दिनांक 15.03.2024 के अंतरिम टैरिफ आदेश संख्या 41/2023-24 द्वारा स्वंतत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों के लिए कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमानों में ईंधन की आपूर्ति (इंटो प्लेन और फ्यूल फार्म सेवाओं सहित) से संबंधित सेवाओं के लिए 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ (31.03.2024 को विद्यमान) की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था।

3. कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं के संबंध में स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने का कार्य अभी जारी है और इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिकांश आईएसपी से एमवाईटीपी अभी प्राप्त किया जाना है। इसलिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त तालिका के अनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं को 30.09.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.10.2024 से 31.03.2025** तक की अगले छ: (6) माह की अवधि, या पूर्वाक्त सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति दी जाए।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) उपर्युक्त तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो सुविधा/ग्राउंड हैंडलिंग/ विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले **स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं** को 30.09.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली 01**.10.2024 से 31.03.2025 तक** अगले छ: (6) माह की अवधि, या ऊपर उल्लिखित आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित 'प्रमुख हवाईअड्डों' पर प्रचालन कर रहे संबंधित स्वतंत्र सेवा प्रदाता एमवाईटीपी समय पर प्रस्तुत करें।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक आईएसपी की अनुमोदित टैरिफ सभी हितधारकों के सूचनार्थ अपने कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता अधिकारी

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

स्वतंत्र सेवा प्रदाता/हवाईअड्डा प्रचालक – (संलग्नक I और II के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003**